

उत्तर प्रदेश शासन
 स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2
 संख्या-06/2018/341/स्टानि0-2-2018-700(474)/2017
 लखनऊ: दिनांक 23 मार्च, 2018

अधिसूचना

आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2, 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से नीचे अनुसूची के स्तम्भ-1 में उल्लिखित संगत उपबंध के अधीन, जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम के स्तम्भ-2 में उल्लिखित प्रयोजनार्थ विद्युत उत्पादन हेतु जैव ऊर्जा इकाई स्थापित करने के लिये प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में, स्तम्भ-3 में उल्लिखित सीमा तक छूट प्रदान करते हैं:-

अनुसूची

जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम का प्रस्तर और खण्ड संख्या	प्रयोजन	छूट की सीमा
1	2	3
प्रस्तर 2.3.1.2	उक्त इकाई की संस्थापना हेतु भूमि क्रय करने के लिये स्टाम्प शुल्क में छूट उपलब्ध होगा।	100 प्रतिशत

2- इस अधिसूचना के अधीन छूट तभी उपलब्ध होगी यदि सम्बन्धित जिला का जिला मजिस्ट्रेट या महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऐसे लिखत पर इस तथ्य की पुष्टि करने के प्रयोजन के लिए साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करेगा कि अन्तरण, उक्त नीति के अधीन निष्पादित किया जा रहा है।

आज्ञा से,

हिमांशु कुमार
 प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadेश.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-06/2018/341/स्टानिको-2-2018-700(474)/2017, दिनांक 23 मार्च, 2018

प्रतिलिपि हिन्दी तथा अंग्रेजी, अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इसे दिनांक 23-03-2018 के असाधारण गजट के भाग-4 के खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की सौ प्रतियाँ स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(लालू)

संयुक्त सचिव।

संख्या-06/2018/341/स्टानिको-2-2018-700(474)/2017, दिनांक 23 मार्च, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार, लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- (2) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (3) प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
- (4) प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (5) आयुक्त स्टाम्प/महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
- (6) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (7) सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश सूचना निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
- (8) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (9) समस्त उपायुक्त स्टाम्प/उप महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
- (10) समस्त सहायक आयुक्त स्टाम्प/सहायक महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
- (11) विधायी अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन।
- (12) भाषा अनुभाग-5 उत्तर प्रदेश शासन।
- (13) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लालू)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadेश.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

UTTAR PRADESH SHASAN
STAMP EVAM REGISTRATION ANUBHAG-2

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 06/2018/341/94-S.R.-2-2018-700(474)/2017, Dated,

23 March, 2018

Notification

Order

No.06/2018/341/94-S.R.-2-2018-700(474)/2017

Lucknow Dated, 23 March, 2018

In exercise of the powers under clause (a) of sub section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no 10 of 1897) the Governor is pleased to remit with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, the stamp duty chargeable for establishing Bio-Energy unit to produce electricity to the extent mentioned in Column 3, for the purpose mentioned in Column 2 of Bio-Energy Enterprises Promotion Programme under the consistent provision mentioned in Column 1 of the Schedule below:-

SCHEDULE

Paragraph and clause number of the Bio-Energy Enterprises Promotion Programme	Purpose	Extent of Remission
1	2	3
Paragraph 2.3.1.2	The exemption of Stamp Duty will be available for purchase of land for the installation of the unit.	100 percent

2. The remit under this notification shall be available if the District Magistrate or the General Manager, district Industries Centre of the concerned district shall sign such instrument as witness for the purpose of confirming the fact that the transfer is being executed under the said policy.

By order,

Himanshu Kumar
PramukhSachiv

-
- 1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।